न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/2913/2006/जालौर

1. दला पुत्र हापू
2. नाजू बेवा हापू

–समस्त जाति कलबी निवासीगण जाखडी तहसील रानीवाडा जिला जालौर

.....अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. जेऊ पुत्री हापू पत्नि रगाराम
2. नगा पुत्र लाला

–समस्त जाति कलबी निवासीगण जाखडी तहसील रानीवाडा जिला जालौर

3. चतरा पुत्र अमराराम
4. मकनाराम पुत्र तुलछाराम
5. हाजाराम पुत्र तुलछाराम

–समस्त जाति कलबी निवासी जाखडी तहसील रानीवाडा जिला जालौर

6. काली पत्नि पन्नाराम जाति कलबी निवासी धामसीन तहसील रानीवाडा जिला जालौर

....प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

श्री डुंगरसिंह राठौड, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री एल0एस0माथुर, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 22.08.2019

हस्तगत् द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील

प्राधिकारी, पाली द्वारा अपील सं. 12/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25-01-2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने मौजा जाखडी स्थित विवादित आराजियात साबिक खसरा संख्या 375 रकबा 89 बीघा 4 बिस्वा जिसके नवीन खसरा संख्या 772 रकबा 2-95 हैक्टर, खसरा संख्या 773 रकबा 0-05 हैक्टर, खसरा संख्या 774 रकबा 0-01 हैक्टर, खसरा संख्या 775 रकबा 0-06 हैक्टर, खसरा संख्या 776 रकबा 11-16 हैक्टर, खसरा संख्या खसरा संख्या 710/1712 रकबा 0-32 हैक्टर कुल रकबा 14-55 हैक्टर भूमि के संबंध में एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के तहत प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद पत्र का प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 ने अपना जवाबदावा पेश किया। उक्त जवाबदावा इस आशय के साथ पेश किया कि अगर किसी कारण जमीन जैर दावा में प्रतिवादी संख्या 3 से 5 खरीदारान का हक नहीं माना जावे तो स्वीकृतशुदा तथ्यों के अनुसार हापू खातेदार की 40 बीघा जमीन जैर दावा प्रतिवादी जेऊ की है व हापू फौत हो गया, जिसके वारिस उसका पुत्र वादी दला पित्न नाजू व पुत्रियां जेऊ व काली है, जो प्रत्येक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार 1/4 हिस्से की भूमि पाने की अधिकारिणी है और हापू के सभी वारिसान उसके फौत होने के बाद सहखातेदार हो चुके हैं। जिसमें प्रत्येक सहखातेदार का पूरी भूमि पर कब्जा गिना जायेगा जिसके अनुसार काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि खसरा जैर दावे में से 20 बीघा भूमि जेऊ के हक में बख्शीशशुदा को व शेष भूमि 49 बीघा के 1/4 हिस्से को प्रतिवादी जेऊ की खातेदारी घोषित कर नियमानुसार बंटवारा कर कब्जा बाई मिट्स बाऊण्ड जेऊ प्रतिवादी का कराया जावे, जिस हेतु कोर्ट फीस स्टाम्प रूपये 200/- का पेश है। इसके साथ ही जवाबदावे में इस आशय का भी अंकन किया गया कि खसरा संख्या 375 रकबा 89 बीघा 4 बिस्वा सरहद जाखडी का सेटलमेंट में सहायक भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 2-8-1988 के जरिये इसके नये गठित खसरा नम्बरान खसरा संख्या 772, खसरा संख्या 773, खसरा

संख्या 774, खसरा संख्या 775, खसरा संख्या 776, खसरा संख्या खसरा संख्या 710/1712 मौजा जाखडी में 20/89 हिस्सा काली के नाम, 20/89 हिस्सा रगा के नाम व 49/89 हिस्सा दला के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। जिसकी अपील होने पर अतिरिक्त कलक्टर ने आदेश दिनांक 11–10–1991 को खारिज कर दी। इस अपील में दला रेस्पोडेन्ट था और उसके कुदरती वलीया की हैसियत से उसकी माता भी पक्षकार थी, जिन्होंने रगा का खातेदारी हिस्सा होना स्वीकार किया। उस फैसले की कोई अपील या रिवीजन नहीं हुई। इसलिए रगा के खातेदारी हिस्से को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता और वादीगण ऐसा उजर करने से एस्टोप्ड है। कालान्तर में उपखण्ड अधिकारी भीनमाल की आदेशिका दिनांक 6–04–1999 के द्वारा वाद संख्या 18/1997 के साथ वाद संख्या 26/1997 को एकजाई करने की आज्ञा पारित की गई। जिला कलक्टर जालौर के आदेश दिनांक 30–04–1999 के द्वारा आलोच्य प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी सांचोर के समक्ष अन्तरण कर दिया गया। तत्पश्चात आदेश दिनांक 03–06–2000 के द्वारा प्रकरण सहायक जिला कलक्टर सांचोर के समक्ष प्रस्तुत हुई। दावे व जवाबदावे व उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर विचारण न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 21–04–2001 द्वारा अनुतोष सहित 4 विवाद्यक किए, परन्तु कायम किए गए विवाद्यकों के बिना आज्ञा दिनांक 15–03–2002 जारी करते हुए वादीगण के वाद को पोषणीय नहीं होना अवधारित करते हुए अपास्त कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15–03–2002 के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–01–2006 द्वारा अपास्त कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा

पारित निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत है। उनका कहना है कि मामले में विचारण न्यायालय ने वादीगण द्वारा शहादत प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके वाद को साबित नहीं होना मानकर भूल की है। जबकि वादी अपनी शहादत के लिए स्वयं शहादत बंद किए जाने की तारीख दिनांक 18-08-2001 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित था। तब न्यायालय द्वारा वादीगण के बयान क्यों नहीं लिए गए। इसका कोई कारण न्यायालय ने अंकित नहीं किया गया। इस प्रकार वादी की शहादत बंद करने का आदेश उपलब्ध न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत है। जबकि वादी खर्चा जमा करवाने हेतु तैयार था। आगे बताया कि वाद के समर्थन में उनके द्वारा भूमि शामलाती खातेदारी व कब्जेकाश्त की दर्ज होते हुए तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 का कोई भी मामला नहीं बनते हुए वादीगण के वाद को बिना कोई कारण अंकित किए तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को नहीं माने जाने का कोई कारण विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित नहीं कर गलती की है। उनका आगे कहना है कि प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 का विवादित रकबे की घोषणा खातेदारी कब्जा प्राप्ति का वाद खारिज हो चुका है, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का विवादित रकबे पर कोई अधिकार शेष नहीं रहता है। उनका तर्क है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर बिना विभाजन के अजनबी क्रेता को कब्जे में आने का कोई अधिकार नहीं है तथा संयुक्त खातेदार को उसको जबरन कब्जा करने से रोकने का पूर्ण अधिकार है, इन सभी तथ्यों को न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा प्रकट किए गए थे। जिनको नहीं माने जाने का कोई कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण खारिज होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25-01-2006 तथा सहायक जिला कलक्टर रानीवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15-03-2002 को अपास्त करते हुए तथा अपीलार्थीगण/वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने व खर्चा जमा करवाने का एक अवसर दिया जाकर उसकी शहादत लेकर नये सिरे से निर्णित

किए जाने हेतु मामले को पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कहा कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित है। उनका कहना है कि विवादित रकबे के कब्जे के समय बख्शीश से ही प्रतिवादीगण को बंटवारा कर उत्तर–पश्चिम का हिस्सा सुपुर्द कर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 का करवाया गया था, तब से ही प्रतिवादी का अपने बंट की भूमि पर ही कब्जाकाश्त होने का कथन किया गया। आगे बताया कि हापू के देहान्त के बाद वादी अल्प व्यस्क था, इस कारण खसरा संख्या 375 के वादी के हिस्से पर काश्त उसके बहनोई व जेऊ का पति रगा करवाता था तथा कब्जा था। आगे कहा कि काली व जेऊ ने अपने हिस्से की बख्शीशशुदा भूमि रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा का बेचान प्रतिवादी चतरा व मकना के हक में दिनांक 13–01–1989 को कर दिया था व बेचानामा पंजीकृत भी करवाया गया तथा कब्जा भी सुपुर्द करवाया गया। परन्तु इस आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित नहीं हो सकी। उनका तर्क है कि बंदोबस्त की कार्यवाही में आराजी अकेले रगा के नाम दर्ज हो गई, जिसे जेऊ ने बंदोबस्त की कार्यवाही के दौरान अपने नाम दर्ज करा लिया। उनका आगे तर्क है कि बख्शीशशुदा भूमि बहनों के कब्जेकाश्त में थी, जिसे जेऊ का पति काश्त कराता था, शेष भूमि पर हापू के देहान्त के बाद उसके प्रथम वर्ग के वारिस होने से दला व उसकी बहन प्रतिवादी संख्या 1 व 6 हकदार हो गए। उनका यह भी तर्क है कि बंदोबस्त के दौरान स्वतः ही जेऊ ने अपनी इच्छा से अपने पति के नाम भूमि को दर्ज करवाया था। जिससे उसने विक्रय विलेख दिनांक 16–08–1996 को सही तरीके से प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के हक में तकमील कर दिया, जबकि इसमें से 12–50 बीघा भूमि का बेचान कर कब्जा जेऊ व काली द्वारा पूर्व से ही हस्तान्तरित कर दिया था, परन्तु इस बाबत नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित नहीं हुई। उनका आगे यह भी तर्क है कि प्रतिवादी को वादीगण ने जबरदस्ती आराजी से बेदखल कर दिया। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में आलोच्य मामले में दोनों अधीनस्थ

न्यायालयों के विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बारीकी से मूल्यांकन किया।

7. प्रकरण का आद्योपान्त अवलोकन करने से यह तथ्य प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर के समक्ष वादीगण दला वगैरहा द्वारा पेश राजस्व मुकदमा संख्या 03/2001 बउनवान दला बनाम जेऊ बाबत विवादित रकबे के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत हुआ है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर रानीवाडा के समक्ष वादिया जेऊ ने समान आराजी के संबंध में एक अन्य वाद बाबत खातेदारी हक, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी दला के विरूद्ध पेश किया, जो कि विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्व मुकदमा संख्या 22/2002 बउनवान जेऊ वगैरहा बनाम दला संस्थित किया गया। स्थिति यह प्रकट होती है कि एक ही रकबे के बाबत दला ने स्थायी निषेधाज्ञा व जेऊ ने अधिनियम की धारा 88, 53–ए व 188 के तहत पेश किया है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल की आदेशिका दिनांक 06–04–1999 के द्वारा पुराने वाद संख्या 18/1997 के साथ वाद संख्या 26/1997 को एकजाई किया गया। जिला कलक्टर जालौर के आदेश दिनांक 30–4–1999 के द्वारा आलोच्य प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी सांचोर के समक्ष अन्तरण कर दिया गया। तत्पश्चात आदेश दिनांक 6–4–1999 के द्वारा प्रकरण संख्या 03/2001 व वाद संख्या 89/1999 को एकजाई किया गया। वादिया जेऊ द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत खातेदारी हक, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा को विचारण सहायक जिला कलक्टर रानीवाडा ने आज्ञा दिनांक 23–08–2002 द्वारा अदम हाजरी व अदम पैरवी अभिनिर्धारित करते हुए अपास्त कर दिया। सहायक जिला

कलक्टर रानीवाडा ने वादी दला द्वारा विवादित आराजियात के क्रम में दला द्वारा पेश वाद संख्या 03/2001 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा में आज्ञा दिनांक 15-03-2002 पारित कर वादी को पोषणीय नहीं मानते हुए अपास्त कर दिया।

8. विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर सांचोर की आदेशिका दिनांक 21-04-2001 के अनुसार न्यायालय ने वादीगण के वाद में अनुतोष सहित 4 विवाद्यक किए है। परन्तु विचारण न्यायालय ने कायम की गयी तनकियों को निर्णय दिनांक 15-03-2002 में समाहित नहीं करते हुए बिना विवाद्यक के निर्णय पारित कर दिया है। इस संबंध में विधायिका का प्रावधान निम्नानुसार हैः-

<u>व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 20 नियम 5</u> का सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैः-

> **"न्यायालय हर एक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा - उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गई है, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित्त कारणों के सहित देगा"।**

चूँकि मामले में विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय बिना विवाद्यक कायम किए पारित किया है। इस कारण ऐसे पारित किए गए निर्णय को विधि की उक्त भावना के विपरीत धारित किया जाना युक्तियुक्त पाया जाता है। सारांशतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होने के कारण ऐसे निर्णय का समर्थन का कोई आधार हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। जब विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21-04-2001 द्वारा मामले में विवाद्यक कर दिए गए तथा उन विवाद्यकों को विचारण न्यायालय द्वारा निर्णित नहीं किए जाने की स्थिति में ऐसे निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व था कि निर्मित्त किए गए विवाद्यकों को पृथक-पृथक विरचित करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। परन्तु आक्षेपित निर्णय बिना विवाद्यक कायम किए पारित किए जाने

की स्थिति में आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण त्रुटिपूर्ण घोषित किया जाता है।

9. अपीलार्थीगण ने हमारे समक्ष प्रथम आक्षेप यह उठाया है कि मामले में विचारण न्यायालय ने उन्हें साक्ष्य पेश करने का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया है। उनके गवाहान के हाजिर होने व उनकी साक्ष्य पीठासीन अधिकारी के राजस्व अभियान में व्यस्त रहने से नहीं ली जा सकी। आगे यह भी बताया कि वादी के वाद में काफी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को तय करना आवश्यक था, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उनकी साक्ष्य बंद कर दिए जाने के कारण न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं की जा सकी। इस संबंध में हम यहां यह उल्लेखित कर देना उचित समझते है कि माननीय विभिन्न उच्चतर न्यायालयों ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में इस मत को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है कि मामले से जुडे समस्त पक्षकारान को समुचित रूप से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करने के बाद पारित किया गया निर्णय श्रेष्ठकर होता है। उन्होंने द्वितीय आक्षेप यह उठाया कि विचारण न्यायालय के समक्ष इसी आराजी के संबंध में पेश अन्य वाद जो चतराराम द्वारा पेश किया गया था, जो कि प्रकरण संख्या 89/1999 संस्थित किया गया है, उक्त वाद को आलोच्य प्रकरण के साथ समेकित किया गया है, परन्तु न्यायालय ने समेकित किए गए वाद में कोई निर्णय पारित नहीं किया है। जबकि अन्य वाद की विषयवस्तु इस वाद से भिन्न थी। अपीलार्थी के उक्त आक्षेप के मद्देंनजर पत्रावली में संलग्न उक्त वाद संख्या 89/1999 का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया तथा हम पाते है कि न्यायालय ने उक्त वाद में किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया है। जबकि समेकित वाद की पृष्ठभूमि इस वाद की परिस्थिति से भिन्न थी। अतः अपीलार्थीगण द्वारा लिए उक्त उद्धरणों से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है।

10. अन्तोगत्वा स्थिति यह प्रकट होती है कि मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सीपीसी तथा विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के विधिक प्रावधानों के विपरीत अपने

निर्णय पारित किए जाने की स्थिति में उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर दखल दिया जाना नितान्त आवश्यक हो जाता है। अतः हमारी विनम्र राय में हस्तगत द्वितीय अपील में तथ्य एवं विधि दोनो बिन्दुओं का समावेश है तथा उक्त दोनों बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय त्रुटिपूर्ण पाये जाते है। इस कारण इस द्वितीय अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

11. परिणामतः अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25-01-2006 एवं सहायक जिला कलक्टर रानीवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15-03-2002 को अपास्त किए जाते है। प्रकरण विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर रानीवाडा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ऊपर किए गए सम्प्रेषण के क्रम में अपीलार्थीगण की साक्ष्य को पुनः खोलकर तथा प्रतिवादीगण की पर्याप्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य एकत्रित कर व विवाद्यक निर्मित्त कर प्रत्येक विवाद्यक को उपलब्ध रेकार्ड व विधि की भावना के अनुसरण में पृथक-पृथक विरचित करते हुए व समस्त पक्षकारान को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य